

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/सेवानिवृत्ति/2015-16 दिनांक 19.01.2015 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार जैन, (जन्मतिथि 23.04.1955 सेवानिवृत्ति तिथि 30.04.2015) सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राउमावि कन्नौज, चित्तौडगढ़ के सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किये गये थे। विभागीय आदेश दिनांक 19.01.2015 में वर्णितानुसार तत्समय इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी। उक्त विभागीय कार्यवाही आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि0जांच/11123/बी-117/13/674-675 दिनांक 23.07.2020 द्वारा समाप्त की जा चुकी हैं।

अतः श्री महेन्द्र कुमार जैन सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राउमावि कन्नौज, चित्तौडगढ़ के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक—

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

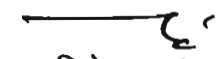

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/सेवानिवृत्तियां/2020-21/ दिनांक : 14/06/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय उदयपुर।
02. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, चित्तौडगढ़।
03. संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
04. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा चित्तौडगढ़।
05. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
06. श्री महेन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राउमावि कन्नौज, चित्तौडगढ़।
07. रक्षित/निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)